लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2070

11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आधुनिकीकरण का प्रभाव

2070. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आधुनिकीकरण के प्रभाव से वैश्विक स्तर पर भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में किस प्रकार सुधार हुआ है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान किस स्तर तक बढ़ा है;

(ख) एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उनके लिए रोजगार के अवसरों के बारे में सरकार के पास क्या आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ग) वस्त्र श्रमिकों के लिए आवास योजना की स्थिति क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) बुनकरों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है तथा इन सुविधाओं से बुनकरों को किस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): वस्त्र विनिर्माण को बढ़ाने, अवसंरचना के आधुनिकीकरण, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने पर सरकार के फोकस ने वैश्विक वस्त्र केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। सरकार की भूमिका अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना, अपनी विभिन्न नीतिगत पहलों और योजनाओं के माध्यम से उद्योग और निजी उद्यमियों के लिए इकाइयाँ स्थापित करने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने में सुविधा प्रदान करना है। इन पहलों के कारण देश भर में कई हथकरघा, पावरलूम, रेडीमेड वस्त्र, सिंथेटिक यार्न और होजरी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

(ख): कुल 11.14 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 8.43 लाख लाभार्थियों को एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया है।

(ग): भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में गैर-एसएसआई वस्त्र मिलों के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों, जो इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं, को राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 15.09.1986 से वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) नामक एक योजना शुरू की थी। टीडब्ल्यूआरएफएस को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सां.आ. 1081(ई) दिनांक 06.04.2017 के तहत राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के साथ विलय कर दिया गया है और दिनांक 01.04.2017 से टीडब्ल्यूआरएफएस को बंद कर दिया गया है। बेरोजगार कामगार उपरोक्त योजना के तहत पात्रता के अध्यधीन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(घ): वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, ने अक्टूबर, 2021 से हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक) को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के घटकों में से एक, हथकरघा बुनकर कल्याण के तहत केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/वित्त पोषित 'वस्त्र संस्थान' के 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए 5,000/- रुपये प्रति माह के स्टाईपेंड सहित प्रति बालक अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की है।

****